



# उत्तर-प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

प्रधान कार्यालय: गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010

## देशीय कार्यालय: गाजियाबाद

18, संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०), फोन- 0120-2986071

Email Id: recovery.roghaz@upgb.bank.in

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्तियों का विवरण	देय राशि (लाखों में)	रिजर्व मूल्य / ईएमडी	कब्जा की तिथि	नीलामी की तिथि, समय व स्थान
1.	चिपियाना बुजुर्ग	ऋणी: श्री अमित कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह, सह-ऋणी: श्रीमती अंशु देवी पत्नी श्री अमित कुमार, खाता: 9167NC00003050.	आर-42, नंदगाम (नंद-निकुंज) गाजियाबाद में स्थित, मालिक श्री अमित कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह, क्षेत्रफल 26.56 वर्ग मीटर, उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख एसआर पंचम गाजियाबाद में 19.10.2022 को बही नंबर 1, जिल्द नंबर 9434, पेज नंबर 137 से 162 में क्र. नं. 7175 पर पंजीकृत है, जिसकी चौहद्दी: पूर्व: रोड 9.5 मीटर, पश्चिम: मकान नंबर 55, उत्तर: मकान नंबर 43, दक्षिण: मकान नंबर 41.	रु. 19.38 लाख + देय ब्याज + अन्य खर्च। -वसूली यदि हो तो	रिजर्व मूल्य 28,65,000 ईएमडी 2,86,500	26.08.2025	दिनांक: 17.03.2026, मंगलवार, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक। शाखा: चिपियाना बुजुर्ग।
2.	साहिबाबाद गाजियाबाद	ऋणी: श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी श्री विजय प्रकाश शर्मा और सुशी तरुलिका शर्मा पुत्री श्री विजय प्रकाश शर्मा, जमानतकर्ता: श्री विपुल गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल। खाता नं 9133NC00003226.	भूमि तल, प्लॉट नं. 8/37, सैक्टर 8, राज नगर गाजियाबाद 201001, मालिक श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी श्री विजय प्रकाश शर्मा, उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक द्वितीय गाजियाबाद के बही सं 01, जिल्द सं 13041 पृष्ठ सं 69 से 148 क्र सं 10514 दिनांक 16.11.2017 पर दर्ज है। क्षेत्रफल 97.50 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट नं. 38, पश्चिम: प्लॉट नं. 36, उत्तर: रोड़ 30 फिट चौड़ा, दक्षिण: सर्विस लेन 12 फिट।	रु. 31.74 लाख + देय ब्याज + अन्य खर्च। -वसूली यदि हो तो	रिजर्व मूल्य 91,65,000 ईएमडी 9,16,500	31.07.2025	दिनांक: 17.03.2026, मंगलवार, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक। शाखा: साहिबाबाद।
3.	साहिबाबाद गाजियाबाद	ऋणी: अनीता तोमर पत्नी राकेश तोमर, खाता नं 9133NT00003049.	मकान नं. ई-154, भूतल ई-ब्लॉक, सैक्टर 12, प्रताप विहार कॉलोनी, गाजियाबाद, उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक गाजियाबाद के बही सं. 1, जिल्द सं. 6078, पृष्ठ सं. 377-430, क्र.सं. 1863, दिनांक 06.04.2017 पर दर्ज है।	रु. 12.91 लाख + देय ब्याज + अन्य खर्च। -वसूली यदि हो तो	रिजर्व मूल्य 12,17,000 ईएमडी 1,21,700	02.12.2023	दिनांक: 17.03.2026, मंगलवार, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक। शाखा: साहिबाबाद।
4.	राज नगर गाजियाबाद	ऋणी: श्री इस्लाम पुत्र माजिद और सलमा पत्नी इस्लाम। गारंटर: भीष्म शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा। खाता संख्या: 9128NT00003433.	ब्लॉक जी 96, भू-तल (बिना छत अधिकार के), एलआईजी, सैक्टर 12, जीएमपी प्रताप विहार, परगना- लोनी, जिला- गाजियाबाद, उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख एसआर पंचम सदर गाजियाबाद 13.02.2020 को बही नं. 01 जिल्द नं. 8135, पेज 323 से 384, क्रम नं. 673 पर पंजीकृत है। संपत्ति का शीर्षक विलेख शाखा राजनगर, बंधक बनाने के लिए 12.03.2020 को उक्त ऋणों में सुरक्षा के रूप में जमा किया गया था।	रु. 10.43 लाख + देय ब्याज + अन्य खर्च। -वसूली यदि हो तो	रिजर्व मूल्य 9,95,000 ईएमडी 99,500	20.12.2025	दिनांक: 17.03.2026, मंगलवार, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक। शाखा: राज नगर, गाजियाबाद।
5.	इंडाहेड़ा	ऋणी: श्रीमती नूरजहाँ पत्नी श्री जाकिर हुसैन, सह-ऋणी: मो. शकिर पुत्र श्री जाकिर हुसैन, गारंटर: श्री संजय कुमार पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह। खाता नं. 9132NC00003122.	मकान प्लॉट नं. 12, खसरा नं. 573, साई गार्डन चिपियाना बुजुर्ग, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, मालिक श्रीमती नूरजहाँ पत्नी श्री जाकिर हुसैन, क्षेत्रफल 41.8 वर्ग मीटर, उक्त संपत्ति का टाइटल डीड सब रजिस्ट्रार दादरी में 12.03.2018 को बही नं. 1, जिल्द नं. 11550, पेज नं. 391 से 415, क्र. नं. 4663 में पंजीकृत है, चौहद्दी: पूर्व: विक्रेता का प्लॉट (श्री राजवीर पुत्र श्री मानसिंह और श्री मनवीर पुत्र श्री मानसिंह), पश्चिम: अन्य का प्लॉट, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: 18 फीट चौड़ा रास्ता।	रु. 10.39 लाख + देय ब्याज + अन्य खर्च। -वसूली यदि हो तो	रिजर्व मूल्य 15,73,000 ईएमडी 1,57,300	13.02.2025	दिनांक: 17.03.2026, मंगलवार, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक। शाखा: इंडाहेड़ा।

**उक्त के सम्बन्ध में सम्पर्क करें: मोबाईल: 7217029167 (चिपियाना बुजुर्ग शाखा), मोबाईल: 7217029133 (साहिबाबाद शाखा), मोबाईल: 7217029128 (राज नगर शाखा), मोबाईल: 7217029132 (हुण्डाहेड़ा शाखा),** सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है। नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्राद: 10:00 से सायं 4:00 बजे तक निम्नानुसार जमा करनी होगी: सभी खाताधारकों को अर्नेस्ट धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 16.03.2026, भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के पक्ष में: Uttar Pradesh Gramin Bank, (Branch Name).

(3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जप्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समाप्तित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जप्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स/विजली/पानी/अन्य प्रकार इष्टीय एवं कर जो भी होगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्ट्याम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा।

दिनांक: 14.02.2026

प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक देशीय कार्यालय, गाजियाबाद